

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 226/2022

दायर दिनांक :- 01.04.2022

अनवान

दिनेश मोहनलाल रहेवाडी उर्फ राजू पिता मोहनलाल धन्नाराम रहेवाडी उर्फ मोहनलाल जाति चमार (बैरवा) उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान) हाल निवास बी -116 पुरुषोत्तम पार्क सोसाइटी भगवती सोसाइटी चांदखेडा अहमदाबाद

प्रार्थी.....

बनाम

1. रमेश पिता मोहनलाल जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
2. ललिता पुत्री मोहनलाल जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
3. गीता पुत्री कंवलियां जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
4. चन्दा पुत्र कंवलियां जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
5. त्रिलोक पुत्र कंवलियां जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
6. विमला पुत्री कंवलियां जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
7. सीता पुत्री कंवलियां जाति चमार उम्र व्यवस्क निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान)
8. तहसीलदार सा. जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री नारायण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश ::

दिनांक 04.04.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम ऊचा प.ह ऊचा भु. अ क्षेत्र अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 1366/3 रकबा 0.2752 विधा आ.न 1369/3 रकबा 0.5585 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 0.8337 हैक्टर खातेदार ईन्द्रा पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 उमीला पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 कोकिला पुत्री मोहनलालजाति चमार 1/18 रमेश पिता मोहनलाल जाति चमार 1/3 रमेश पिता मोहनलाल

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

136

जाति चमार 1/18 राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार 1/3 निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान) व राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार 1/18 निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान) व ललिता पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। जिसके वादी राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार की बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। ग्राम हनुमाननगर प ह ऊचा भु. अ क्षेत्र अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में आ.न. 769 रकबा 0.8903 हैक्टर कुल किता 1 रकबा रकबा 0.8903 हैक्टर खातेदार गीता पुत्री कंवलियां 1/10 चन्दा पुत्र कंवलियां 1/10 त्रिलोक पुत्र कंवलियां 1/10 जाति चमार रमेश पिता मोहनलाल जाति चमार 17/72 राजु पिता मोहनलाल 17/72 ललिता पुत्री मोहनलाल 1/36 जाति चमार विमला पुत्री कंवलियां 1/10 जाति चमार सीता पुत्री कंवलिया 1/10 जाति चमार निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। जिसके वादी राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार की बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी खातेदार इन्द्रा पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 उमीला पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 कोकिला पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 ने अपनी उक्त खातेदारी राजस्व रेकार्ड से अपना हक त्याग वादी दिनेशमोहन लाल रहेवाडी उर्फ राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार 1/3 निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली तहसील देवली जिला टोक (राजस्थान) हाल निवास बी 116 पार्क सोसाइटी भगवती सोसाइटी चान्दखेडा व वादी के भाई पुरुषोत्तम रमेश पिता मोहनलाल जाति चमार कें हक त्याग करवा दिया तभी से वादी व वादी के भाई रमेश पिता मोहनलाल जाति चमार व कब्जे कारत राजस्व रेकार्ड में चली आ रहीं थी। व ललिता पुत्री मोहनलाल जाति चमार 1/18 निवासी एजेन्सी एरिया वार्ड न. 24 देवली ने हक त्याग नहीं करने से पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित कृषि भूमी पर अबाध्य रूप से वादी का अपने हिस्से पर कब्जा कास्त होकर अबाध्य रूप से लगातार कास्त करवाता आ रहा है। वादी के नाम विरासत से खाता रदोबदल के समय दिनेश मोहन लाल रहेवाडी के बजाय राजूलाल पिता मोहनलाल जाति चमार कर दिया जो कि राजस्व अधिकारीयो ने बिनाविधीक जानकारी किये राजू लाल पिता मोहनलाल चमार के नाम से खाता खोला गया जो विधिक भूल रही जब की वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज जैसे राशनकार्ड व आधारकार्ड व आयकर प्रमाण पत्र व हक त्याग दस्तावेज इत्यादी में दिनेश मोहन लाल रहेवाडी पिता मोहन लालधन्नाराम रहेवाडी बेरवा हैं। केवल राजस्व रेकार्ड मे राजूलाल पिता मोहनलाल जाति चमार के नाम से खाता खोला गया जिससे वादी को सरकार से प्राप्त किसान सहायता योजना व अन्य मदद से वंचित रहना पड़ता है। दिनांक 03.02.2022 को वादी पैरा संख्या एक व दो में वर्णित कृषि भूमी पर कृषि ऋण वास्ते बैंक से सम्पर्क किया तो राजस्व रेकार्ड मे राजूलाल पिता मोहनलाल जाति चमार नाम होने व जबकी पहचान हेतु समस्त सरकारी दस्तावेजों में जैसे राशनकार्ड आधारकार्ड इत्यादी दिनेशमोहन लाल रहेवाडी पिता धन्नाराम रहेवाडी हैं। इस कारण बैंक ने कृषि भूमी पर कृषि ऋण देने से मना कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन होकर जारी है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 पैरा संख्या एक व दो में वर्णित कृषि भूमी के सहखातेदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। तथा वादी द्वारा उनके विरुद्ध किसी प्रकार दाद अनुतोष नहीं चाहता है। जिसको वादी राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार की बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। उक्त वर्णित कृषि भुमी मे वादी का नाम राजूलाल पिता मोहनलाल जाति चमार के नाम से खाता खोला गया जिससे वादी राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार की बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। अतः राजस्व रेकार्ड में राजुलाल पिता मोहनलाल जाति चमार की बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी जाति बैरवा दर्ज किये जाने की राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।



प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 से 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 29.11.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें बताया कि दिनेश मोहनलाल

उपस्थित अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

रहेवाडी पुत्र मोहनलाल चमार व राजू पुत्र मोहनलाल चमार का एक ही व्यक्ति होना बताया है। प्रार्थी दिनेश मोहनलाल रहेवाडी पुत्र मोहनलाल का राजस्व रिकार्ड में नाम राजू मोहनलाल है जो गलत है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम राजूलाल पिता मोहनलाल के बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी पुत्र मोहनलाल नाम में शुद्धि कराये जाने के संबंध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी का नाम राजूलाल पिता मोहनलाल के बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी पुत्र मोहनलाल दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है, जिससे न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमाननगर प. ह. उँचा में स्थित कृषि भूमि संवत 2073-2076 में स्थित खाता संख्या 129 की आ.न. 769 कुल किता 01 रकबा 0.8903 हैक्टेयर तथा ग्राम उँचा प. ह. उँचा में स्थित कृषि भूमि संवत 2074-2077 में स्थित खाता संख्या 522 की आ.न. 1366/3, 1369/3 कुल किता 02 रकबा 0.8337 हैक्टेयर में खातेदार राजूलाल पिता मोहनलाल के बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी पुत्र मोहनलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।
निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)


राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 226 / 2022


दिनांक 04.04.2023

निमित्त,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- मु.न. 226/2022 अनवान दिनेश मोहनलाल रहेवाडी उर्फ राजू पिता मोहनलाल धन्नाराम रहेवाडी उर्फ मोहनलाल चमार (बैरवा) निवासी एजेन्सी एरिया देवली तहसील देवली जिला टोक हाल निवास बी 116 पुरुषोत्तम पार्क सोसाइटी भगवती सोसाइटी चान्दखेडा अहमदाबाद रमेश पिता मोहनलाल चमार निवासी एजेन्सी एरिया देवली तहसील देवली जिला टोक में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम हनुमाननगर प. ह. उँचा में स्थित कृषि भूमि संवत 2073-2076 में स्थित खाता संख्या 129 की आ.न. 769 कुल किता 01 रकबा 0.8903 हैक्टेयर तथा ग्राम उँचा प. ह. उँचा में स्थित कृषि भूमि संवत 2074-2077 में स्थित खाता संख्या 522 की आ.न. 1366/3, 1369/3 कुल किता 02 रकबा 0.8337 हैक्टेयर में खातेदार राजूलाल पिता मोहनलाल के बजाय दिनेश मोहनलाल रहेवाडी पुत्र मोहनलाल दर्ज दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)